

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर			आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ	
26/08/19	प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 45/2018 सुरेश तिवारी एवं अन्य बनाम देव विनोद तिवारी एवं अन्य आदेश				
	आवेदक सुरेश तिवारी, पिता-स्व० रामेश्वर तिवारी एवं चन्द्रकान्ति देवी, पति-सुरेश तिवारी, ग्राम+पोस्ट-धर्मपुर (पोन्दिल बड़का गाँव), थाना-कुर्था, जिला-अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि को नापी कराने, दखल कब्जा, दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि निम्न है:-				
	खाता	प्लॉट	रकबा		चौहद्दी
	310/323	1128/852	14 डी०		उत्तर-रामेश्वर तिवारी दक्षिण-रामेश्वर तिवारी पूरब-रामदेनी साव पश्चिम-रामेश्वर तिवारी
	810/323	1197/854	82 डी०		उत्तर-सुरेश तिवारी दक्षिण-सीवाना गोविन्दपुर पूरब-शिवराज मिश्रा पश्चिम-सुढी तिवारी
	311/389	958/773	02 डी० 02 डी० 07 डी०		उत्तर-गली दक्षिण-कृष्णनन्दन तिवारी पूरब-रोड़ पश्चिम-सा मिश्रा
	312	967/376	03 डी०		उत्तर-भोला साव दक्षिण-अजय तिवारी पूरब-सिधी तिवारी पश्चिम-गली
	233/282	1185/702	0.08 डी०		उत्तर-चन्द्रिका तिवारी दक्षिण-सरूप मिश्रा पूरब-रामेश्वर तिवारी पश्चिम-रामेश्वर तिवारी
177	712	04 कठा	उत्तर-नीज (आवेदक) दक्षिण-कुश तिवारी पूरब-रामेश्वर तिवारी पश्चिम-धूपन मोची		
मौजा-धर्मपुर, थाना नं०-150, अंचल-वंशी, जिला-अरवल।					

वाद की प्रविष्टि की गई। प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। प्रतिवादीगण उपस्थित होकर न्यायालय से अनुपस्थित रहे उन्हें उपस्थित होने के लिए पत्र निर्गत किया गया लेकिन वे अनुपस्थित रहे उन्होने वाद में कोई अभिलेख दाखिल नहीं किया गया जिसे वाद की सुनवाई एकपक्षीय कर आवेदक को सुना गया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) विवादित भूमि आवेदकगण ने दिनांक 03.03.1970 एवं दिनांक 07.06.1990 से खरीदगी भूमि है जिसपर शांतिपूर्वक दखल कब्जा चले आ रहे है।
- (2) विवादित भूमि का दाखिल खारीज आवेदक के नाम से चल रहा है।
- (3) प्रतिवादीगण को इस जमीन से कोई मतलब नहीं है।
- (4) प्रतिवादीगण आवेदक की खरीदगी भूमि पर खेती करने में विवाद उत्पन्न करते है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

आवेदकगण को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। विवादित भूमि आवेदकगण ने विजाधर रवीदास, पिता-अकलु रविदास से दिनांक 03.03.1970 एवं 28.06.1971 से निबंधित केवाला के माध्यम से 04 डी० जमीन खरीद किया है तथा चन्द्रकांति देवी द्वारा भी रामाकान्त मिश्रा, पिता-श्यामाकान्त मिश्रा से दिनांक 07.06.1990 के माध्यम से खरीदी भूमि के आधार पर वादा कर रहे है। आवेदक द्वारा खाता नं०-810/323, प्लॉट नं०-1197/854, रकवा-82 डी० से संबंधित किसी भी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक द्वारा खरीदगी भूमि से संबंधित कोई भी राजस्व रसीद प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर को आदेश दिया जाता है कि "बिहार भूमि काश्ताकारी संशोधन अधिनियम के तहत" आवेदक से प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध कराकर नियमानुसार विवादित भूमि का सीमांकन कराये। आदेश के प्रति अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

20/08/19

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

20/08/19

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।